

12.19½ hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER  
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**Reported devastating fire in Seemapuri,  
Delhi resulting in heavy loss of life and  
property**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अदिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और गृह मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे सदन में वक्तव्य दें—

“सीमापुरी (दिल्ली) में हाल ही में भीषण आग लगने और उसके परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि होने के समाचार तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।”

12.20 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, on the 3rd May, 1984 at 1505 hrs. a fire call was received in the Watch Room of Shahdara Fire Station informing that a fire had broken out in a jhuggi in New Seemapuri near DTC Bus Depot, Shahdara. Immediately on receipt of the Call, two fire tenders responded from Shahdara Fire Station. While on the way after seeing thick clouds of smoke shooting in the sky, the fire personnel flashed a message to the Headquarters Control Room for sending more assistance. Two fire units from Shahdara Fire Station reached the scene within 12 minutes and started fire-fighting operations. Due to the high temperature, wind velocity and nature of combustible material used for jhuggis, the fire had spread so rapidly that it engulfed the entire cluster of jhuggis constructed in an area measuring about 5 acres and also involved partly a few houses and shops in the resettlement colony across the road. 39 fire-fighting units were able to extinguish the fire by 1645 hrs.

The fire claimed 7 lives and 6 persons

received injuries. Preliminary inquiries conducted by the police indicate that the fire broke out initially from a burning stove (chullah) left in one of the jhuggis. Considering the gravity of the incident of fire, the Lieutenant Governor, Delhi, has ordered a magisterial inquiry to be conducted by an Additional District Magistrate with the following terms of reference :

- (i) To determine the immediate cause of the fire and to ascertain the sequence of events leading to it.
- (ii) To ascertain the adequacy of arrangements to deal with the situation ;
- (iii) To determine the extent of the tragedy and the damage caused to public and private property as a result of the fire ; and
- (iv) To inquire into any other matter related or incidental to the above.

The next-of-kin of each of the 7 deceased persons have been given Rs. 5,000/- and the 6 injured persons have been given Rs. 2,500/- each. It has also been decided that Rs. 250/- would be given to each of the 729 families who have been rendered homeless. Rupees 3 lakhs have been sanctioned from the Prime Minister's Relief Fund. Temporary shelters in the form of tents have been provided to those who have been rendered homeless. Medical relief was provided from mobile dispensaries and the injured persons were admitted to the Lok Nayak Jai Parkash Narain Hospital. Water was provided by the water tankers of the Municipal Corporation of Delhi and the Red Cross Society is distributing bread and milk to the needy persons. Some other voluntary organisations are also distributing food. Relief operations are being supervised by senior officers of the Delhi Administration and the Municipal Corporation of Delhi.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस घटना के सम्बन्ध में यहाँ विचार कर रहे हैं, वह अत्यन्त ही दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली घटना है। वहाँ का सीन अगर आप देखेंगे तो आपका या किसी का भी दिल पिघल सकता है। लाशें, टुकड़ों में जलकर पड़ी

हुई हैं। गर्मी के दिनों में जिनकी झोंपड़ी जल गई है, वह बेचारे कैसे रहते हैं यह सबसे बड़ी समस्या है? मंत्री महोदय ने अभी कहा कि पांच हजार और ढाई हजार रुपया दे दिया गया है। जब मैं गया था तब तक तो उनको मिला नहीं था। मैं इनको बेलेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ही सकता है, मिल गया हो। इस भयावह घटना को वाणी के द्वारा यहाँ नहीं कहा जा सकता। मैंने देखा कि महिला, पुरुष या बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उसके अलावा बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। वह घटना उस समय घटी जब आफिस का समय था। लोग अपने-अपने आफिसों में जा चुके थे और महिलाएँ भी काम करने के लिए चली गई थीं। घर में सिर्फ बच्चे या जो बीमार थे, वह लोग ही थे। ऐसी परिस्थिति में आग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने प्राण त्यागेंगे। मुझे, वहाँ पर यह बताया गया था कि काफी लोग मरे हैं। लेकिन जब मैं पेपर्स में सरकार की ओर से निकाले गए नामों को पढ़ा तो सरकार का कहना सही होगा कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार के लोगों को सूचना भेजनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर मंत्री महोदय से दो-तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ झुग्गी-झोंपड़ी की समस्या केवल यहीं पर ही नहीं है, पहले भी कई बार झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लग चुकी है और भविष्य में भी लगेगी। इस बात की पूरी आशंका है। मंत्री महोदय ने इस घटना को मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराए जाने के आदेश जारी किए हैं कि किन परिस्थितियों में यह आग लगी। लेकिन एक बात का मुझे संदेह है कि यह आग खाता पकाने के समय नहीं लगी, यह कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ आम लोगों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कुछ लोग इन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहाँ से बेदखल कर देना चाहते हैं, वहाँ से हटा देना चाहते हैं। अब वे ही लोग उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को यहाँ फिर से बसने नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ ख़ास तरह का नियोजित षडयंत्र नज़र आता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जब उसकी जांच होगी तो रिपोर्ट से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर भी मैं मंत्री महोदय से दो-तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री

महोदय, सबसे पहले तो उन लोगों के पास आज खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने स्वयं-सेवी संस्थाओं का जिक्र किया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं किसी स्वयं-सेवी संस्था के भरोसे रहकर किसी आदमी के जीवन को नहीं बचाया जा सकता। निश्चित रूप से इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। वैसे तो कल भी यहाँ डिस्कशन हुआ था, लेकिन आप पूरे भारत के मूह-मंत्री हैं और वह घटना दिल्ली में घटी है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप, तुरन्त दो-तीन चीजों की व्यवस्था करिए। सबसे पहले तो उनकी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके तब ढकने के लिए सरकार की ओर से कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे, उनके पास रहने का अब कोई ठिकाना नहीं रह गया है। वैसे तो सरकार की ओर से ढाई-ढाई सौ रुपया उनको रिसीफ के तौर पर दिया गया है, लेकिन इतने अनुदान से आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के जमाने में क्या हो सकता है। यदि सरकार उनको मकान नहीं दे सकती तो उनके लिए झुग्गी-झोंपड़ी की ही व्यवस्था कीजिए; उनका ही निर्माण करवाइए। उनको कहीं पर शेल्टर या छाया में तो रखिए, उसकी व्यवस्था सरकार को अविलम्ब करनी चाहिए। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आज उनमें भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। इसके बाद मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि दिल्ली में और ख़ास कर यमुना-पार कितनी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियाँ हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज तक उनमें भले ही आय न लगी हो, लेकिन उसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, आपने आग लगने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं, सनको भी मंत्री महोदय स्पष्ट करें। विभिन्न समाचार पत्रों से ऐसा ज्ञान होता है कि जब वहाँ आग लगी तो उसके काफी देर बाद उसको बुझाने की व्यवस्था की जा सकी, दमकल काफी देर बाद वहाँ पहुँची। यह बात भी निश्चित तौर पर सही है कि आपके पास जमुना पार इलाके में दमकल केन्द्र सफोशेंट मात्रा में नहीं हैं। वहाँ अभी तक केवल दो केन्द्र ही बने हुए हैं इसलिए कुछ अधिक केन्द्रों के खोले जाने की आवश्यकता है। जैसा यहाँ

[श्री राम विलास पासवान]

एक माननीय सदस्य ने भी कहा, भविष्य में इस तरह की आग को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रोबैन्टिव म्यूसर उठाए हैं ताकि इस तरह की आग दोबारा कहीं न लग सके। सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि हमारे पास पानी की व्यवस्था क्या है। यदि कहीं हमारे पास पानी की व्यवस्था न हो तो मशीन के पट्टुचने या न पट्टुचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह पानी कहां से लेगी। मुझे बताया गया है कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, लगभग हजार झुग्गी-झोंपड़ियों के बीच में एक बलका है, जहां से लोग अपना पीने का पानी लेते हैं। वैसे तो प्रधान मंत्री सहायता कोष से तीन लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं; मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, इसके साथ ही आपने भी मृत व्यक्तियों के परिवारों को पांच-पांच हजार रुपये देने की घोषणा की है, लेकिन फिर भी यह राशि बहुत कम है। आपको सानवीय दृष्टिकोण को सासन रखते हुए सहायता राशि को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब कोई आदमी ट्रेन दुर्घटना में मरता है, जो कोई आदमी किसी प्लेन दुर्घटना में मरता है तो उसको आप एक लाख रुपया देते हैं। फिर क्या वजह है कि जो अभागे लोग, आग लगने से मरते हैं, उनको आप एक लाख रुपया नहीं दे सकते। इस दुर्घटना में सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, मैं चाहता हूं कि उनमें से प्रत्येक परिवार को आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर कम से कम 50 हजार रुपया सहायता राशि देने की घोषणा करें। जो लोग झुलस गए हैं उनके लिए 10,000 रु० की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिये और यह भी देखा जाय कि यह पैसा उनको मिल जाय, ऐसा न हो कि बीच में ही लोग खा जायें और उस रुपये को लेने में कठिनाई न हो। हमें लोगों ने बताया कि जो नहीं भी जले हैं, या जिनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है उनके नाम से पैसा ले लया जायगा और जो बाकई में पीड़ित हैं उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको देखना है कि रुपया उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस आग से मरे हैं, जल्मी हुए हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है। जिनकी झोंपड़ी जली है उनके लिए झोंपड़ी की व्यवस्था की जाय, या

कम से कम 2,000 रुपये झोंपड़ी बनाने के लिए दिए जाएं।

झुग्गी झोंपड़ियों से जो आग लगती है अक्सर देखा गया है कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। हमारे पास नाम हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं। यदि आग नग जाए और कोई वहां पहुंचना चाहे दमकल लेकर तो वहां जाने का रास्ता नहीं होता है। दिल्ली में जब इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां हैं तो सरकार को देखना चाहिए कि उनमें आने जाने का रास्ता होना चाहिए। ऐसा न होने से लोगों की जानमाल, सम्पत्ति नष्ट होती है और घर जलते हैं। इसलिए दिल्ली में जो भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं वहां देखना चाहिए कि रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं और सफिशिएंट मात्रा में आग बुझाने वाली मशीनें हैं कि नहीं। अपने उत्तर में मंत्री महोदय बताएं कि इनके यहां कितनी इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां हैं, और इस तरह की आशंका को समाप्त करने के लिए कितने दमकल हैं और भविष्य में कितनी जगह पर दमकल खोलने का प्लान बनाया है, कितनी गाड़ियां हैं? और क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि 5,000 रु० की राशि को बढ़ाया जाय। इसी तरह जो राशि घायलों के लिए रखी है उसको भी बढ़ाया जाय और जो बेघरबार हो गए हैं उनके लिए घर बसाते की योजना है कि नहीं और साथ ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की भी योजना है कि नहीं?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लगभग सवा लाख के करीब झुग्गी झोंपड़ियों का अनुमान लगाया गया है, यद्यपि इसकी सही जनगणना अभी नहीं हुई है। लेकिन उन झुग्गी झोंपड़ियों को जो 1977 तक थीं उनको पहले ही रेगुलाइज कर दिया गया। उसके बाद फिर प्रश्न उठा। फिर 1980 तक वह अवधि बढ़ा दी गई और 1980 तक जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं उनको भी वहां रहने दिया गया। यह जितनी झुग्गी झोंपड़ियां जली हैं इनको इस स्थान से हटाने का कोई प्रश्न नहीं है। उनको वहीं

बसाया जायगा।

जहां तक 5 हजार रु० की राशि है, मैं स्वयं मद्सूस करता हूँ कि यह रकम कम है, और मैं लैप्टीनेट गवर्नर से इस बात के लिए कहूंगा कि 5,000 रु० की राशि को बढ़ाया जाय और कम से कम इसको 10-15,000 रु० करें। जो लोग घायल हुए हैं उनको दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई जाए।

यह कहना कि वहां आग बुझाने वाले इन्जन समय पर नहीं पहुंचे, ठीक नहीं है। मैंने बताया कि 12 मिनट में पहले 2 इन्जन वहां पहुंच गए और रास्ते में ही उन्होंने वायरलैस बे करके और दमकलों को सूचना दी। कुल मिलाकर वहां 39 दमकल पहुंचे और साढ़े चार बजे शाम को आग बुझाने का काम खत्म हुआ।

वहां टेंट्स लगा दिए गए हैं और जो रु० दिया जा रहा है उससे उनकी मदद की जा रही है। जहां तक खाने और कपड़े का प्रबन्ध है वालेटरी आर्गेनाइजेशन और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से इस बात का इन्तजाम किया जा रहा है।

मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करूंगा कि अगर राशि कम पड़ती है, तो फिलहाल वह उनके खाने और कपड़े के लिए राशि दें। छः आदमी घायल हुए थे, जिनमें से 2 अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और 4 खतरे से बाहर हैं। उन का इलाज ठीक तरह से चल रहा है। इस बारे में कोई दुरवस्था नहीं है। पानी म्युनिसिपल कार्पोरेशन के टैंकज से वहाँ पहुंचाया जा रहा है और उनको पीने के लिए पानी मिल रहा है। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वह व्यवस्था जारी रहेगी। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि झुग्गी झोंपड़ियों के लिए बिजली और पानी के नल आदि की सुविधा प्रदान की जाए।

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore) :  
I have gone through the statement. I have also heard the questions put by Mr. Paswan. Before I put my questions, I would like to convey my hearty gratitude to our beloved

Prime Minister for granting Rs. 3 lakhs from the Prime Minister's Relief Fund immediately on receipt of information regarding this fire.

The hon. Home Minister has mentioned in his statement that Rs. 250 has been sanctioned to each family rendered homeless. How can one build a small hut even for Rs. 250 in these days? Is it a fact that we are going by the Famine Code which was adopted by the British Rulers before independence? Are we governed by that to give the maximum amount grant-in-aid as has been mentioned here? Therefore, not only the Delhi Administration but everywhere in the country, the State Governments also do they abide by that and they cannot give grant-in-aid more than Rs. 250 or Rs. 500 to each of the families rendered homeless by these types of accidental fire or some natural calamity like cyclone, flood, etc? If so, is it a fact that we are governed by that Famine code which was adopted by the British Rulers? Is the government thinking to amend it considering the present circumstances of our country? In addition to this, I would request the hon. Minister to use his good offices so that they may give at least Rs. 2000 to each family who are rendered homeless.

In his statement the Hon'ble Minister has stated that 729 families have been rendered homeless. But my information is that it is more than 1000. Who has visited the site and assessed this number? Will he kindly see that it is reassessed so that the actual number of persons rendered homeless be known and accordingly grant-in-aid may be sanctioned?

In his statement the hon. Minister has stated that the tents are supplied to them. But as per my information, till this morning about 40 or 50 tents were supplied but none of the persons who were rendered homeless have been supplied with the tents. Will the hon. Minister kindly ascertain this also see that all the persons who are rendered homeless are supplied with tents immediately by the evening today?

One more thing. I have got only two or three questions. I am only putting questions to know the actual facts from the hon.

[Shri Chintamani Jena]

Minister. The hon. Minister in his statement has not said anything about the employment of those persons whose properties and whose houses were lost. But why should I say this? You may kindly go through the newspaper reports published on 3-5-1984 in the *Hindustan Times* about this incident, which I quote :

'Mujibur Rahman, a rickshaw-puller sat in his burnt jhuggi looking at new parts of rickshaw which he had purchased a few days ago. The rickshaw parts were completely charred.'

Similarly, another news-item says :

'Tahiri, a provision store owner, said he had lost about Rs. 20,000 as his shop has been gutted. A tin containing Rs. 2,000 in cash had all gone up in flames, he said.'

Similarly,

'Shanti, [wife of Gangaram, a rickshaw-puller could not locate a trunk of hers which contained all the jewellery and saris collected for the marriage of her son which was fixed for May 12.'

In these jhuggis all the persons who are staying are very poor, and they were earning their livelihood by rickshaw pulling, or some other small business, etc. All their belongings have been lost. Action has to be taken by the Delhi Administration so that they may be given alternative employment immediately so that they will earn their livelihood.

Before concluding I want to seek one clarification. The Delhi Administration, or the Lt. Governor, has ordered a magisterial inquiry, for which I am thankful. But the hon. Minister has not stated when the report of this magisterial inquiry will be submitted. No date or dateline has been fixed, say within a week or within ten days or fortnight, when the report has to be submitted, so that action could be taken based on that report. With these words I conclude.

SHRI P.C. SETHI : It is true that the compensation that is being paid is based on the old precedents. But I have said in the House that as far as the compensation of Rs. 5,000 to the deceased families is concerned, I am requesting the Delhi Administration and the Lt. Governor to increase this amount to ten to fifteen thousand rupees and also for those whose houses have been burnt the amount of Rs. 250 appears to be less and I have also recommended that Rs. 750 to Rs. 1,000 may be given.

On the question of re-settlement or removal of those persons, there is no question of their removal at present. And as far as the report of the Judge appointed by the Delhi Administration is concerned, he has been requested to give the report within a week's time and I am sure it is not going to take more time.

All possible efforts are made to see that all those people whose jhuggis have been burnt are employed and as for all those rickshaw pullers who have lost their belongings like the rickshaw, on which they were dependent, the Delhi Administration has been asked to provide them with rickshaws, or the necessary arrangements will be made to employ them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You may suggest that these people who have lost their rickshaws and all that may be provided with some loan to get that rickshaw again and something like that.

SHRI P.C. SETHI : Either loan or the rickshaw itself.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, that is right, thank you.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दिल्ली वह है जहां देवता और आदमी रहते हैं और दूसरी दिल्ली वह है जो कि नरक है और पशुओं से भी बदतर इंसानों की जिन्दगी गुजारे हैं। यह कहें भी उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। मैं आज सुबह वहां गया था और वहां की हालत को मैंने देखा। संसदीय शब्दों में कहूं तो मंत्री जी के वक्तव्य में सत्य कम है और अगर

हमारी भाषा में कहें तो यह हो सकता है कि झूठा बयान है। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि छः हजार नर-नारी और बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहाँ की स्थिति का विश्लेषण यह है कि सी में से साठ वैंस्ट बंगाल और बंगला देश के लोग हैं, 15 से 20 परसेंट बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के लोग हैं। इसी तर्क के से साठ प्रतिशत माइतोरिडोज और चालीस प्रतिशत हरिजन व शूद्र कहलाने वाले हैं। जो बिल्कुल सर्वहारा लोगों की आनादी है। थाने की रपट के मुताबिक और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि आग साढ़े तीन बजे लगी है और आपकी गाड़ी वहाँ पर साढ़े चार बजे पहुंची है। आपकी रपट के अनुसार धुआं बहुत ज्यादा था, इसलिए हैलीकाप्टर को मदद के लिए बुलाया। मैंने वहाँ थाने के लोगों से बात की और वहाँ के लोगों से भी बात की, यह घटना 20-40 मिनट के अन्दर कुछ नहीं हुआ है। जब वहाँ की आग पर काबू पा लिया जाता है, तब शाम को साढ़े छः बजे एल० जी० साहब पहुंचते हैं। सबसे पहले आदमी एल० जी० साहब हैं जो आग के बुझने पर पहुंचते हैं। तीन तारीख को कोई मदद नहीं, लेकिन शाम को मदद एक कांसा कम्पनी, जिसको मैं नहीं जानता, रचना के अन्दर उसका दफ्तर है। एक दूसरी संस्था जो कि बिल्लीमारो के अन्दर है। प्रधान मंत्री कोष से तीन लाख रुपया दिया गया है। लेकिन उस पैस का भी सदुपयोग नहीं होता। वहाँ पर चार टेंट खड़े हैं, जैसे किसी का भाषण हो रहा है। बिना झंडे के चार टेंट और ऐसा मालूम देता है कि कोई मंदारी खेल खेल रहा है। इससे ज्यादा वहाँ पर कुछ नहीं है। यदि घर मंत्री जी चाहें तो मैं उनको ले जाकर दिखा सकता हूँ। मैं घर मंत्री को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर तीन प्रकार की झुगियां हैं। एक तो मकान वे हैं जो पक्के हैं, दूसरे वे झुगियां हैं जिन की एलाटमेंट हो चुकी थी और तीसरी वे झुगियां हैं जो बगैर एलाटमेंट के हैं। कुल मिलाकर 1127 झुगियां हैं, जो जली हैं।

अब इनको मदद क्या दी जा रही है? इंसानी जिन्दगी की मदद न मिले, लेकिन कम से कम

हैवानी जिन्दगी की मदद तो मिले। दिल नहीं मानता है, इसलिए मजबूरन जाना पड़ता है, वरना हमारा दिमाग भी यहाँ की तेल-फुल्ल और खुशबू में सड़ गया है। उन्होंने हम से कहा कि हमारे पाखाने चल कर देखिये—क्या हालत है। रेड क्रॉस कहता है कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन एक भी सरकारी अफसर वहाँ नहीं था। 11 पी० ए० सी० के जवान थे इन के अलावा मैं चेलेंज कर के कहता हूँ एक भी सरकारी आदमी वहाँ नहीं था। किसी किस्म का कोई इन्तजाम नहीं था, बच्चे एक दूसरे पर पड़े हुए थे, कोई बर्तन नहीं था, खाना बनाने का कोई इन्तजाम नहीं था। (व्यवधान)

ये वहाँ के एम० पी० नहीं हैं, वहाँ के एम० पी० भगत जी हैं। यह इलाका दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से दूर है, सीमापुरी का मतलब है सीमा के पास है। गांधी जी ने एक गलती की थी जो भंगी कालोनी में रहने लगे। इस लिए इनको उठाकर वहाँ से भगा दिया। जो पुराने गांधीवादी हैं, जैसे त्रिपाठी जी हैं, ऐसे लोग वहाँ जाते नहीं हैं। अगर वहाँ जाते तो पता लग जाता कि उनकी क्या दशा है, वहाँ जाने से उनको बहुत ज्ञान हो सकता था, पूजा-पाठ की दृष्टि से भी यह बहुत बड़ी पूजा होती। वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा है। कोई टैंकर वहाँ पर नहीं था। कांसा कम्पनी ने कुछ नलके वहाँ खोद कर लगा दिये हैं। वहाँ बेघर आबादी मुसलमानों और हरिजनों की है। उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके पास लंगोटी के अलावा तन ढकने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है। औरतों के भी सिर और पैर ढके हुए नहीं हैं।

मैं चाहूँगा—सेठी जी तीन-चार बातों को स्पष्ट करें। पहले सवाल का जवाब तो यह दें कि सेठी जी को आग लगने की इत्तिला कब मिली? आप गृह मंत्री हैं, इत्तिला मिलने पर आप ने क्या किया, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपके मंत्रालय को कोई इत्तिला मिली या नहीं मिली? कल मेट्रो-पोलिटन काउन्सिल में इसके बारे में काल-एटेंशन आया था, हमने पुलिसवालों को यह कहते सुना, कल हमने उनको जबाब बनकर भेजा था, आज उसकी नकल करके यहाँ भेज देंगे। प्रधान मंत्री

## [श्री मनी राम बागड़ी]

जी के कोष से तीन लाख रुपया वहां भेजा गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। मुझे इनके दो सोशल वर्कर नहीं मिले, जो अपने आप को कांग्रेस-नेता बतलाते थे। वे बेचारे काम कर रहे थे—उनमें एक तो महिला थी—हाजरा बेगम और दूसरे थे—एस० रहमान, जो अपने को पुराने कांग्रेस नेता कहते थे, और भी लोग मिले थे, वे भी अपने को पुराने कांग्रेसी नेता कहते थे। कहा गया है कि उनके अन्दर पैसा बांटा गया है—कल शाम तक 96 आदमियों को 250 रुपये के हिसाब से दिया गया है, जबकि टोटल झुग्गियां 1127 हैं। यह पैसा कौन बांट रहा रहा है—पुलिस वाले बांट रहे हैं। कौन बांटने वाला है, कौन करने वाला है, किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है—इसमें एक बुनियादी बात है—जब एक तरफ ऐसे मकान बनवाये जाएंगे जो आकाश छू रहे हों, जब एक तरफ आकाश-दीप बनाएंगे तो बेचारे झुग्गी-झोपड़ी वालों की क्या हालत होगी—आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिल्ली की आबादी का 18-20 प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, अगर उनका झुग्गी झोपड़ी में रहना बन्द हो जाय तब भी उनका कुछ कल्याण हो सकता है। या फिर इतको कम से कम आग से बचाने के लिए 20 या 50 गज के कोई कमरे ही बना दो। आज आप एडियाड के जरिए हिन्दुस्तान की तरक्की दिखाते लेकिन ऐसे स्थान भी यहां हैं जहां लोग आग से जलकर मर जाएं और उनको कोई देखने वाला नहीं है (व्यवधान)

मैं सरकार से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि सेठी जी को कब इत्तिला मिली और गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की। दूसरा वह कि क्या केन्द्र सरकार उनकी स्थिति का जायजा लेगी और तीन लाख रुपया जो प्रधानमंत्री कोष से दिया गया है, उसके लिए कार्यवाही की जाएगी। क्या केन्द्र सरकार भी अपनी तरफ से उनको मदद देगी। केन्द्र सरकार राज्यों को जरूरत के वक़्त मदद देती

है। नाइ, सूखा, तूफान आदि विपदाओं के समय केन्द्र सरकार मदद देती है। इसलिए क्या केन्द्र सरकार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अन्दर मदद देगी।

वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है। मफाई के लिए वहां पर कोई प्लश लैट्रिन का इन्तजाम नहीं है। इस ओर क्या कार्यवाही की जाएगी। पानी का इन्तजाम भी नहीं है। डी०डी०ए० भी असल से तय आ गया है। शुरू में तो एल० जी० साहव फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गए लेकिन उसके बाद जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अखबार वाजों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की गंदगी के बारे में तस्वीर छाप दी है। “नव भारत टाइम्स” ने खाका खींच दिया है कि यह दिल्ली है। दिल्ली सिर्फ विशाल भवनों में ही नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जांच आप करवा रहे हैं, क्या उस जांच से यह विषय भी जोड़े जाएंगे कि सफाई, पानी और रोटी का इन्तजाम तीन दिन तक नहीं किया गया और झूठे आंकड़े दिखा दिए गए। इस तरह से प्रधानमंत्री फण्ड के पैसे का दुरुपयोग किया गया। क्या इसकी भी जांच की जाएगी। एक आदमी के मरने पर उसके आश्रितों को 5000 रुपए मुआवजा मिला था। उसकी चोरी कल हो गई। सुरक्षा की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या वहां पर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इन सब चीजों की देख-भाल करे।

मुआवजा तो आप नहीं दे सकते लेकिन जिसका सर्वस्व जल गया है, उसके लिए कुछ तो बंदोबस्त आपको करना होगा। उनको 20-25 गज का कोई कोठा ही दे दिया जाए जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। इसके अलावा उनको अब कानूनी बातों में फंसना होगा। उनके राशन कार्ड जल गए हैं। उनसे सबूत मांगा जाएगा जो उनके पास नहीं होगा। तो क्या मंत्री महोदय यह भी आश्वासन देंगे कि उनको इन कानूनी बातों में नहीं उलझाया जाएगा।



दिल्ली में लाख या सवा लाख झुग्गियां हैं तो कम से कम उनके इलाकों में फिल्म इत्यादि के माध्यम से यह प्रचार तो किया जाना चाहिए कि आग से बचाव कैसे किया जाए। आग से कैसे बचा जाए। क्या इस चीज का प्रबंध मंत्री सहोदय करेंगे और दमकल बगैरह आग बुझाने का प्रबंध है, पानी है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बहुत अनुभवी और पुराने सदस्य हैं। इनका यह कहना कहां तक उचित है कि मैंने जो व्यान दिया है, वह झूठा है? मैंने जो व्यान दिया है, वह तथ्यों पर आधारित है। दिल्ली प्रशासन ने जो मुझे जानकारी दी है, उस पर आधारित है। इसमें कोई भी मलती नहीं हो सकती। एक-आध आंकड़े में हो सकता है कि हुई हो। यहां पर जितने आदमी बसते हैं, उसमें कुल 1300 लोग नैस्ट-बंगाल से आए हुए हैं। बाकी लोग दूसरी जगह के हैं। इसलिए, यह कहना कि सब नैस्ट-बंगाल के हैं, ठीक नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के लोग भी वहां पर हैं। उनके रहने की व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है उसमें आपके और दूसरे माननीय सदस्य के व्यान में फर्क आ गया है। आपने कहा कि छह व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा था कि पचास व्यक्ति हैं। वहां पर तम्बुओं का पूरा प्रबन्ध किया गया है। पहले, लोग उनमें नहीं जा रहे थे लेकिन अब चले गए हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रधान संत्री कोष का रुपया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के सोग बांटेंगे। मैं देखूंगा कि जो रकम पुलिस थाने के जरिए से बांटी जा रही है, वह न बंट सके। स्थानीय कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और जो इनको जानते हैं, उनको लेकर बंट सके। जहां तक झुग्गी-झोपड़ियों को बसाने का सवाल है, बक्स एण्ड हाऊसिंग सिनिस्ट्री उसका प्रबन्ध करती है। उनकी सेंटलमेंट कालोनी बसाने का सवाल कई दिनों से चल रहा है। पानी टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। मैंने भी कहा है कि पानी और बिजली की कम से कम व्यवस्था की जानी चाहिए और शिक्षा के लिए भी शीघ्र ही

स्कूल खोले जाने चाहिए। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जहां तक होम मिनिस्ट्री में सूचना का ताल्लुक है। यह सूचना दोपहर में आई। आग बुझाने वाले दो दमकल वैन वहां 12 मिनट के अन्दर ही पहुंच गए थे। कुल मिलाकर 39 दमकल वैन वहां पहुंचे। साढ़े चार बजे तक आग बुझ चुकी थी। साढ़े छह बजे की बात, जो माननीय सदस्य ने की है, यह ठीक नहीं है।

**श्री ममोरास बागड़ी :** मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो उस व्यान के बारे में कहा है, जो आपके पाम आया है। अपनी तरफ से तो आपने कोई जांच नहीं करवाई। आपके पास तो दिल्ली प्रशासन के द्वारा बी गई जानकारी है। मैंने यह कहा था कि आगने जो कहा है, वह सत्य पर आधारित नहीं है। मैं, तो खुद मौके पर देखकर आया हूँ। आप भी देखकर आए हैं।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) :** उपाध्यक्ष जी, इस दुर्घटना में जान और साल का नुकसान हुआ। कम से कम ऐसे मामलों में तो राजनीति को नहीं लाना चाहिए। पासवान जी ने जो भाषण दिया, वह राजनीति से ऊंची तकरीर थी। इसी प्रकार बागड़ी जी भी काफी पुराने सदस्य हैं। जैसा कि कहा गया कि पुराने कांग्रेसी मिल नए तो हो सकता है कि किसी जमाने में उनके साथ रहे होंगे। आग लगने के फौरन बाद ही फायर-इन्जिन वहां पहुंच गए। ट्रैफिक होने के बावजूद भी बारह मिनट में वहां पहुंच गए।... (व्यवधान) इस आग लगने के बाद रिहबिलिटेशन का प्रबन्ध होना चाहिए। आइन्दा आग न लगे, इसके लिए भी प्रबन्ध होना चाहिए। एक आदमी ने चूल्हा जलाया और पूरी बस्ती जल गई। मैं चाहता हूँ कि आप प्रत्येक सिनेमाघर में और हर जगह ऐसे बोर्ड लगा दें कि आग से अपने घर को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, तब तक आप चाहे जितने लाख खर्च कर दें, कुछ नहीं होने वाला है। मैं, एक दोलतसंद देश का नाम नहीं लेना चाहता बल्कि



[श्री एम० रामगोपाल रेड्डी]

एक उदाहरण उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। एक साहब जेट विमान में बैठे। अपनी चाय बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा जलाया जिसकी वजह से पूरा एयर-क्राफ्ट जल गया। दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख लोग होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आग से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। वरना कुछ होने वाला नहीं है। आज यहां आग लगी है कल कहीं और भी लग सकती है, लेकिन हर जगह फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता, रोड नहीं जा सकती या पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता। यदि आप किसी जगह झुग्गी-झोंपड़ी में आग लगने पर इन्जन न पहुंचने के कारण होम मिनिस्टर को गालियां दें तो उससे किस्सा खत्म होने वाला नहीं है। इस वास्ते हर आदमी को जागना चाहिए कि आग से बचने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, क्या इन्तजाम करना चाहिए। उसकी शिक्षा उसको दी जानी चाहिए।

दूसरे, जैसा आप जानते हैं,

In the South, particularly in Tamilnadu.

जब भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वहां लगातार पांच दिन खाना दिया जाता है। पैसा तो आप भी दे रहे हैं, लेकिन धोतियां और साड़ियां भी दीजिए क्योंकि पैसे के कई दूसरे इमकान हो सकते हैं, वह लूटा जा सकता है या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कपड़ा दिया जाता है तो वह लोगों के काम आएगा। बैसे कुछ आर्गोनाइजेशन खाते के पैकेट्स का इन्तजाम तो कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तीन लाख रुपये दिया गया है जो लगभग 700 फैमिलीज में बांटा जाएगा। इस हिसाब से हर परिवार को लगभग 400 रुपये हिस्से आता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ मदद दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस सबका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए।

इसके बाद हम जगह-जगह देखते हैं कि एक के ऊपर एक झुग्गी-झोंपड़ी बनती चली जा रही है। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहां जनसंख्या बढ़ी तेजी से बढ़ी जा रही है, हम जितने लोगों को प्लाट्स देते हैं, पांच साल बाद फिर वे ही लोग हमसे प्लाट्स मांगते हैं कि हमारे पांच बच्चे हो गए, थोड़ी दया कीजिए। इस देश पर और कम से कम खुलकर बोलिए। यदि किसी को एक प्लाट मिल जाए तो उसे अगले 20-50 साल तक प्लाट नहीं मिलने चाहिए। आपको मालूम है—

This New Delhi is very thinly populated city of the whole world and old Delhi is the most thickly populated city of world.

इसलिए हमें इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। उसके पहले अब आलंड दिल्ली से कुछ लोगों को बाहर ले जाया गया तो उसका पूरा पोलिटिकल एडवांटेज आप लोगों ने लेने की कोशिश की है। यदि झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी में, जहां एक स्थान पर 50 लोग रहते हैं, आप किसी को कहिए कि मेहरबानी करके 25 आदमी किसी दूसरे स्थान पर जाकर रह लें तो उनमें से एक भी आदमी वहां से जाने को तैयार नहीं होगा। फिर जो वहां पर जले है, वे सारे हिन्दुस्तानी लोग हैं, हमें उसकी वहस में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जब उनका नुकसान हो गया है तो सरकार की तरफ से सहायता उनकी दी जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मर गए हैं, उनकी अपेक्षा जो लोग घायल हुए हैं, उनका नुकसान ज्यादा हुआ है क्योंकि अब वह जिन्दगी भर काम नहीं कर सकता, जिन्दा तो है, लेकिन मेहनत नहीं कर सकता। यदि किसी घायल व्यक्ति को काम करने की पोर्टेबिलिटी कम हो गई है तो उनको कुछ ज्यादा कम्पेंसेशन मिलना चाहिए। यदि कोई आदमी मर जाता है तो उसके बच्चे आदि अपने वास्ते कोई इन्तजाम कर लेंगे, लेकिन जो डिस-एबल हो जाता है, किसी तरह से कमजोर हो जाता है, उनके लिए हमारे मिनिस्टर साहब को इफेक्टिव स्टैप्स लेने चाहिए।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली कार्पोरेशन की तरफ से

जो पैसा दिया गया, उसमें से कैसे चार रुपया या दो रुपया लोगों ने खा लिया। यह कोई कांग्रेस क्लबर भी नहीं है कि यदि किसी गरीब आदमी को 50 रुपया मिले तो दो रुपये उसमें से कोई अपनी जेब में डाल ले। हमारे मिनिस्टर साहब ने साफ कहा है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या दिल्ली कारपोरेशन की तरफ जो कुछ हो रहा है, वह आखिर सैन्ट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर की तरफ से ही तो हो रहा है, हमको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए और इनके बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस वास्ते जो कदम उठाए गए हैं अच्छे हैं और मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि और जितनी सहुलियतें उन लोगों को दी जा सकती हैं वह दी जाएं।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं साननीय रेड्डी जी का आभारी हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे मुझाव दिए हैं। आग नहीं लगे इस प्रकार का शिक्षण लोगों का होना चाहिए चाहे मिनेमा स्लाइड से या साइन बोर्ड से। और इस तरह की कोरिंग लगाकर लोगों को बताया जाए। जो उनको सहायता दी गई है, मैंने अभी बताया कि 3 दिन तक उनको खाने और कपड़े का इन्तजाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, यह मैं उनसे कहूँ जा रहा हूँ और वह किया जाएगा। साथ ही झुग्गी झोंपड़ी वालों को अच्छी तरह से रहने का और जिन्दगी की अन्य आसामें मिलें इसके लिए पानी की व्यवस्था, ...

**श्री मनी राम बागड़ी :** दवाई और सफाई की व्यवस्था का भी इन्तजाम किया जाय।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :** जो आदमी मेडिकल ऐड के लिए जा रहे हैं उसके लिए अलग से मेडिकल हैल्प सेंटर खोल दिया जायगा। जो लोग जले हैं उनको मामूली खारिश है, उसमें से दो लोग डिस-चार्ज हो गए हैं। कोई डिसएबिल नहीं हुआ है। और अगर कोई हुआ है तो उसको ऐसा मुआवजा दिया जायगा जैसा कि डिसेबल पर्सन को दिया जाता है।

13.11 hrs.

#### MATTERS UNDER RULE 377

- (i) Need to protect interests of the residents of Housing colonies in Chheda Nagar, Chembur and Garodia Nagar, Ghatkopar in Bombay

**DR. SUBRAMANIAM SWAMY** (Bombay North East) : Sir, In my Constituency in North Bombay, there are two large private residential housing colonies at Chheda Nagar, Chembur and Garodia Nagar, Ghatkopar. Many private Housing Cooperative Societies had purchased plots from M/s Chheda and M/s Garodia respectively and constructed these residential buildings.

Before purchase of these lands, there Cooperative Societies have checked whether titles of ownership of these lands were clear and the Bombay Municipal Corporation had also approved the building plans.

Suddenly the Salt Commissioner woke up and claimed the ownership of these lands where these buildings came up and served notices asking them to vacate.

It is surprising that the Salt Commissioner did not object when these buildings were under construction and when advance publicity was given regarding sale of these plots. It is even reported that the State Government had paid the so-called owners M/s Garodia and M/s Chheda, compensation for acquisition of some portion of these lands for State Highway etc. This step of Central Government has put the innocent residents in a fix as most of them have invested their life savings for these houses.

Central Government should immediately intervene in this matter and protect the interests of the residents.

- (ii) Need for tightening up provisions of the Bonded Labour (Abolition) Act

**SHRI MADHAVRAO SCINDIA** (Guna) : Sir, Poor tribals of Raipur district of Madhya Pradesh still continue to suffer from inhuman bonded labour system. They are compelled to mortgage